न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **श्री उत्तमसिंह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः 2013/159 दायर दिनांक 04.10.2013

वादी		प्रतिवादीगण
1. गिरधारीराम पुत्र बोदुराम, जाति जाट, उम्र 63 वर्ष, निवासी ढिगाल, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. बालूराम पुत्र स्व0 हेमाराम, 2. बजरंगराम पुत्र स्व0 हेमाराम, 3. धन्नाराम पुत्र स्व0 हेमाराम, 4. अन्नी देवी पत्नि स्व0 हेमाराम, समस्त निवासी ग्राम ढ़िगाल, तहसील डीडवाना 5. झूमा देवी पत्नी श्री जगदीश, निवासी झुंझारपुरा, पोस्ट मनाना, तहसील मकराना 6. श्रीमती भंवरी देवी पत्नी श्री मेघाराम, 7. रामूराम पुत्र श्री नारायण, 8. रामेश्वर पुत्र श्री नारायण, 9. शंकर राम पुत्र श्री नारायण, 10. श्रीमती पतासी देवी पत्नी स्व0 श्री पिथाराम, 11. रामकरण पुत्र स्व0 श्री पिथाराम, 12. पुखराज जरिये संरक्षक माता श्रीमती पतासी देवी, 13. बाली पत्नि श्री नारायण, 14. घनश्याम पुत्र श्री श्रवण, 15. नाथूराम पुत्र श्री सूजाराम, 16. हरदेवाराम पुत्र श्री गोपीराम, 17. उमाराम पुत्र गोपीराम, 18. पूसाराम पुत्र श्री लालाराम, समस्त निवासीयान ग्राम ढ़िगाल, तहसील डीडवाना 19. बुधरराम पुत्र श्री गुमानाराम, 20. आसी पुत्री गुमानाराम, 21. केसर पुत्री श्री गुमानाराम, 22. मन्नी पुत्री श्री गुमानाराम, 23. शेराराम पुत्र श्री तिलोकाराम, 24. हनुमानाराम पुत्र श्री तिलोकाराम, 25. लच्छूराम पुत्र श्री तिलोकाराम, 26. पन्नाराम दत्तक पुत्र श्री पूसाराम, 27. सुवटी पुत्री श्री पूसाराम, 28. पोखरराम पुत्र श्री लालूराम, 29. मोहनराम पुत्र श्री लालूराम,

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

		30. गणेशाराम पुत्र श्री लालूराम, समस्त निवासी भवादिया की ढाणी, तहसील डीडवाना
		31. भींवाराम पुत्र श्री बोदूराम,
		32. श्रीमति हस्ती देवी पत्नि स्व0 श्री जोधाराम,
		33. संजय पुत्र स्व0 श्री जोधाराम,
		34. शालिनी पुत्री स्व0 श्री जोधाराम,
		35. किस्तूराराम पुत्र श्री पूसाराम,
		36. लिखमाराम पुत्र श्री पूसाराम,
		37. गुमानाराम पुत्र श्री चेताराम,
		38. पूसाराम पुत्र श्री अर्जुनराम,
		39. धारूराम पुत्र श्री अर्जुनराम,
		40. श्रवणराम पुत्र स्व0 श्री रामनाथ,
		41. श्रामकरण पुत्र स्व0 श्री रामनाथ, समस्त जाति जाट, निवासी ग्राम ढ़िगाल, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान
		42. तहसीलदार, डीडवाना

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 13 सपठित धारा 151 सी0 पी0 सी0 विरूध एक तरफा निर्णय एंव डिक्री दिनॉक 21.09.2011 वाद संख्या 33/2008 उनवानी हेमाराम बनाम भंवरी देवी वगैरह निरस्त किये जाने बाबत

उपस्थित–

1. श्री हीरसिंह बलारा, अधिवक्ता, प्रार्थी/वादी की और से।
2. श्री दानाराम भाटी, श्री जगदीश गिरी, श्री लालसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण/प्रतिवादीगण की और से।

–:: निर्णय ::– दिनांक **15.02.2018**

प्रार्थना पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 01 ता 5/वादी ने माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद घोषणा–बंटवारा, रिकार्ड दुरूस्ती का वाके ग्राम ढ़िगाल तहसील डीडवाना, जिला नागौर स्थित आराजी खसरा संख्या 88, 299/88 एव अन्य खसरा संख्या 168 के बाबत दिनॉक 29.02.2008 को प्रस्तुत किया। वादी का वाद दर्ज रजिस्टर करने के बाद सभी प्रतिवादीगण को माननीय न्यायालय द्वारा सम्मन जारी किय`जाने के आदेश पारित किये गये लेकिन माननीय न्यायायल द्वारा जारी कोई भी सम्मन या नोटिस मिन प्रतिवादी/प्रार्थी गिरधारीराम को आजे तक प्राप्त नहीं हुए है। वादी ने तामील कुनिन्दा से आपस में सांठ गांठ कर मिन प्रतिवादी के सम्मन पर फर्जी हस्ताक्षर किये है और उक्त फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर दिनॉक 13.03.2008 को मिन प्रतिवादी गिरधारीराम की तामील मानते हुये इकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने के आदेश पारित किय गये जो निरस्त किये जाने योग्य है।

पृष्ठ संख्या ......2...... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

ऐसी स्थिति में प्रार्थी/मिन प्रतिवादी को वादी द्वारा प्रस्तुत वाद में जारी सम्मन तामील नहीं होने से श्रीमान न्यायायल के समक्ष उपस्थित होकर मिन प्रतिवादी द्वारा अपना पक्ष रखना कतई संभव नहीं था। इसलिये प्रार्थी मिन प्रतिवादी का माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय डिक्री दिनॉक 21.09.2011 में उपस्थित होकर अपना पक्ष्रा प्रस्तुत नहीं किया जा सका जो उचित एंव पर्याप्त कारण है। इसलिये माननीय न्यायालय द्वारा पारित एक तरफा निर्णय एंव डिक्री को निरस्त किया जाकर बचाव एंव सुनवाई का अवसर दिया जाना न्याय संगत है। तथा इकतरफा निर्णय एंव डिक्री प्रतिवादी संख्या 26 जोधाराम की मृत्यु वर्ष 2008 में हो चुकी है तथा प्रतिवादी संख्या 32 रामनाथ की मृत्यु 2009 में हो चुकी है और इन पक्षकारो के कायम मुकाम भी वादी द्वारा पेश नहीं किये गये। इसलिये मृत व्यक्तियों के खिलाफ भी निर्णय एवं डिक्री पारित होने से निरस्तनीय है। तथा माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनॉक 21.09.2011 की जानकारी मिन प्रतिवादी/प्रार्थी को तामील के अभाव में जानकारी कभी नहीं रही। सर्वप्रथम दिनॉक 26.08.2013 को नामान्तरण की नकल लेने से प्रश्नाधीन निर्णय एंव डिक्री की जानकारी हुई। तत्पश्चात माननीय न्यायायल के समक्ष दिनॉक 30.08.2013 को निर्णय एंव डिक्री की नकल प्राप्त होने पर एक तरफा निर्णय की जानकारी प्रतिवादी/प्रार्थी गिरधारीराम को हुई। जानकारी के दिन से अन्दर मियाद माननीय न्यायालय के समक्ष यह प्रार्थना पत्र बावत आदेश 09 नियम 13 सी0 पी0 सी0 एक तरफा निर्णय एंव डिक्री दिनॉक 21.09.2011 की जानकारी होने की दिनॉक 30.09.2013 तक की अवधि मियाद से माफी दिया जाना न्याय हित में प्रार्थनीय है, जिसके अलग से धारा 05 अधिनियम में अलग से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। एक तरफा पारित निर्णय एंव डिक्री में मिन प्रतिवादी/प्रार्थी का माननीय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना जानबूझकर नहीं होकर समुचित तामील के अभाव में एवं वाद की जानकारी के अभाव में है जो कि पर्याप्त एंव उचित कारण है। इस प्रकार स्पष्ट है कि वादी/अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 05 ने प्रतिवादीगण की तामील, तामील कुनिन्दा से मिली भगत करते हुए फर्जकारी कर कराई है। इसलिये भी यह एक तरफा निर्णय एंव डिक्री निरस्तनीय है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किये गये। जिसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 1, 3, 4 की और से दानाराम भाटी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया तथा अप्रार्थी संख्या 7 से 10, 12, 13, 15, 16, 18, 30, 37 की और से जगदीश गिरी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया, अप्रार्थी संख्या 31, 32, 33, 34 की और से लालसिंह अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 02, 06, 11, 14, 17, 19, 24, 25, 26, 29, 35, 36, 40, 41 बावजुद तामिलगी के अनुपस्थित होने से उनके खिलाफ एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी।

विद्वान अधिवक्तागण की गई सारगर्भित बहस सुनी गई। उभय पक्षो ने प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में सहमति जताई।

अतः पत्रावली का अवलोकन किया, बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

पृष्ठ संख्या ......3...... लगातार

सहायक कलेक्टर (नागौर)

Scanned by CamScanner

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थी/प्रतिवादी गिरधारीराम का आदेश 9 नियम 13 सी0 पी0 सी0 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतित होता है।

आदेश

प्रार्थी/प्रतिवादी गिरधारीराम का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है, तथा मूल वाद संख्या 33/2008 अनवान हेमाराम बनाम भंवरी देवी वगैरह का निर्णय दिनॉक 21.09.2011 को निरस्त किया जाता है। तथा मुल वाद पुनः दर्ज कर प्रार्थी/प्रतिवादी गिरधारीराम को जबाब/साक्ष्य सबुत पेश करने हेतु समय दिया जाता है।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक **15.02.2018** को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner